[2018] 1 एस. सी. आर 533

कर्नाटक लाइव बैंड पुनर्वास संगठन

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2007 की सिविल अपील सं. 4741)

25 जनवरी, 2018

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

सार्वजनिक स्थानों का अनुज्ञप्ति और नियंत्रण

मनोरंजन (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005-2005 के आदेश की संवैधानिकता कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 31, गतिविधियों को प्रदर्शित करने वाले रेस्तरां के संचालन और कार्यप्रणाली को विनियमित करती है। रेस्तरां में लाइव बैंड म्यूजिक "", कैबरे डांस "और" डिस्कोथेक "उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता संघ द्वारा 2005 के आदेश की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं लिखें, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-आयोजितः 2005 का आदेश किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसलिए यह संवैधानिक अपीलार्थी की व्यावसायिक गतिविधि है। , रेस्तरां का संचालन, लाइव बैंड संगीत का प्रदर्शन और दो अन्य प्रदर्शन इसके अंतर्गत आते हैं।

2005 के आदेश के खंड 2 (बी), (डी) और (जे) में निर्दिष्ट, कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963-के तहत लाइसेंस लेने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैं। एसएस। 2 (14) , 2 (15) और 31-सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंस और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 1989-भारत का संविधान-Art.19 (1) (g) और 19 (6)।

[2018] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963-अनुज्ञप्ति और नियंत्रण

मैक्सिम्स-"सालुस पोपुली सुप्रीमो लेक्स" और "सालुस रिपब्लिक सुप्रीमो लेक्स"-व्यक्तिगत कल्याण की अवधारणा बनाम सामुदायिक कल्याण-पर चर्चा की गई। भारत का संविधान-कला। 19 (1) (छ)-जनहित के मामलों में तर्कसंगतता का परीक्षण-आयोजित: तर्कसंगतता का परीक्षण आवश्यक है।

विधायिका के सामने आने वाले मुद्दों के संदर्भ में देखने के लिए-ऐसे कानूनों के निर्माण में और उनकी वैधता का न्याय करते समय, न्यायालय को इस मुद्दे को समग्र रूप से समुदाय के सामाजिक हित, नैतिक और भौतिक प्रगति को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखना होगा-इसलिए ऐसे मामले में, यह निर्णय लेना आवश्यक है कि लगाए गए प्रतिबंध आम जनता के हित में उचित हैं या नहीं।

भारत का संविधान-कला। 19 (6) – "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति-आयोजित: उक्त अभिव्यक्ति का व्यापक महत्व है जो

इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, समुदाय के आर्थिक कल्याण और संविधान के भाग IV में उल्लिखित उद्देश्यों को समझा गया है।

भारत का संविधान-कला। 19 (6) - राज्य के अधीन किसी भी व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने की शक्ति-किसी व्यक्ति के अधिकार

आम जनता और राज्य-आयोजित: राज्य को यू/सी. एल. के तहत उचित प्रतिबंध लगाकर किसी भी व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने का अधिकार है। (6) आम जनता के हित में-जनहित, आम जनता का कल्याण और सुरक्षा हमेशा किसी व्यक्ति के अधिकार पर हावी होती है। - किसी भी व्यक्ति के लिए कोई व्यवसाय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि, उसे मानदंडों और वैधानिक विनियमों का पालन करना होगा

व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया।

सार्वजनिक स्थानों का अनुज्ञप्ति और नियंत्रण

मनोरंजन (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005-सी. एल. 7 , 8 और 9-यदि मनमाना या अनुचित-आयोजित किया गया: धारा 7,8 और 9 में निर्दिष्ट शर्तें सार्वजनिक सुरक्षा, आराम, सुविधा, नैतिकता और कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं-किसी भी खंड में कोई अनुचितता या मनमानेपन नहीं है ताकि यह माना जा सके कि वे कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टॉरेंट एसो को चलाने के लिए अव्यवहारिक हैं।

वी. कर्नाटक राज्य

रेस्तरां और विचाराधीन तीन प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए। लाइव बैंड म्यूजिक "", कैबरे डांस "और" डिस्कोथेक "

जो लोग इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं या महसूस करते हैं कि उनका पालन करना संभव नहीं है, वे अपने रेस्तरां में प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं-जनहित, कल्याण और आम जनता की सुरक्षा हमेशा एक व्यक्ति के अधिकार पर हावी होती है-किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवसाय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि, उसे व्यवसाय करने के लिए बनाए गए मानदंडों और वैधानिक विनियमन का पालन करना होगा।

सार्वजनिक स्थानों का अनुज्ञप्ति और नियंत्रण

मनोरंजन (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005-अनुज्ञप्ति प्राधिकरण की शक्तियों के तहत अनुज्ञप्ति का अनुदान/अस्वीकृति-आयोजित: 2005 का आदेश लाइसेंस देने या अस्वीकार करने में लाइसेंस प्राधिकरण की शक्तियों पर रोक लगाता है क्योंकि लाइसेंस प्राधिकरण को अब लाइसेंस को अस्वीकार करने के कारण देने की आवश्यकता होती है-इस तरह की अस्वीकृति को हमेशा न्यायालय में चुनौती का विषय बनाया जा सकता है-इस तरह का एक प्रावधान लाइसेंस देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की मनमानेपन को समाप्त कर देता है।

सार्वजनिक स्थानों का अनुज्ञप्ति और नियंत्रण

मनोरंजन (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005-सी. एल. 3 के लिए प्रावधान-अपीलार्थी की याचिका कि प्रावधान कला का उल्लंघन करता है। 14 यह तर्क देते हुए कि सी. एल. 3 उन रेस्तरां को लाइसेंस प्राप्त करने से बाहर करके भेदभाव पैदा करता है जो यक्षगान, बयालता (फील्ड ड्रामा) का संचालन करते हैं या भरतनाट्यम, लोक कला, संगीत गायन, गायन या वाद्य जैसे वीणा या मृदना आदि। आयोजित किया गया: समर्थनीय नहीं-उपरोक्त

प्रदर्शन आमतौर पर रेस्तरां में नहीं किए जाते हैं लेकिन हैं थिएटरों या/और सभागारों में कलाकारों द्वारा एक बार के प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शन किया जाता है, जबकि विचाराधीन तीन गतिविधियाँ, अर्थात्। - कैबरे, डिस्कोथेक और लाइव बैंड संगीत नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और

अधिक भीड़ को आकर्षित करना-इसके अलावा, रेस्तरां में प्रदर्शन किए जाने पर भी उन वस्तुओं में किसी भी प्रकार की अभद्रता या अश्लीलता शामिल नहीं होती है, जबकि विचाराधीन तीन प्रदर्शन, जब तक कि नियंत्रित नहीं किए जाते हैं।

प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण-नियमित प्रदर्शन के कारण होता है

और रेस्तरां में कैबरे, डिस्कोथेक और लाइव बैंड संगीत का प्रदर्शन-निर्देशन के लिए उपचारात्मक कदम-आयोजित:

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि तीनों में से किसी के कारण आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को कोई ध्वनि प्रदूषण न हो

किसी भी रेस्तरां में प्रदर्शन और उस ओर से उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं-सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंस और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005-सी 1.7 (के)।

केरल पुलिस अधिनियम, 1963 - धारा 2 (15)-सार्वजनिक स्थान

मनोरंजन-जनहित-उचित सुरक्षा उपाय-आयोजित किए गए: लाइसेंस प्राप्त परिसर में आग लगने के कारण किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, विशेषज्ञों की टीम के मार्गदर्शन में उचित विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए -

ये कदम

लोक हित में हैं और इसे पुलिस आयुक्त द्वारा न केवल लाइसेंस देते समय बल्कि बिना किसी चूक के लाइसेंस प्राप्त परिसरों का नियमित निरीक्षण करके भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए-सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंस और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़ना: अनुच्छेद 19-तर्कसंगतता का परीक्षण और

सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों के अनुज्ञप्ति और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005 की संवैधानिकता।

1.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी)

किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का मौलिक अधिकार। हालांकि, अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (जी) के तहत गारंटीकृत अधिकार को अधिरोपण के अधीन बनाया गया है -

खंड (6) के तहत आम जनता के हित में राज्य द्वारा उचित उचित प्रतिबंध। जब भी यह प्रश्न उठता है कि खंड (6) के तहत कानून द्वारा लगाया गया कोई विशेष प्रतिबंध उचित है या नहीं, तो ऐसा प्रश्न न्यायालय पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। खंड (6) में आने वाली "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति है जो इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, समुदाय के आर्थिक कल्याण और अंत में संविधान के भाग IV में उल्लिखित उद्देश्यों को समझती है। का परीक्षण उन मुद्दों के संदर्भ में तर्कसंगतता को देखने की आवश्यकता है,

जो विवादित विधायिका का सामना कर रहे थे। ऐसे कानूनों के निर्माण में और उनकी वैधता का न्याय करते समय, न्यायालय को

इस मुद्दे को समग्र रूप से समुदाय के सामाजिक हित, नैतिक और भौतिक प्रगति को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखें।

कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टाँरेंट्स एसो। वी. कर्नाटक राज्य

इसी तरह, इस तरह के प्रश्न की जांच करते समय, न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है एक सामान्य धारणा पर आगे बढ़ें कि इसके सार में क्या उचित है

न ही न्यायालय उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है जिस पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए, ऐसे मामले में जो निर्णय लेने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या लगाए गए प्रतिबंध इसके हित में उचित हैं।

जनरल

सार्वजनिक हो या न हो। राज्य को आम जनता के हित में खंड (6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाकर किसी भी व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने का अधिकार है। [पारस 45,46,48 और 49] [523-एफ-एच; 563-डी-ई]

1.2 उपरोक्त सामान्य सिद्धांतों के आलोक में

कानून के अनुसार, यह स्पष्ट है कि 2005 का आदेश किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसलिए निम्नलिखित कारणों से संवैधानिक है: पहला, धारा 31, केरल पुलिस अधिनियम, 1963 एक वैध कानून है। इसकी संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। दूसरा, धारा 31 का खंड (डब्ल्यू) और (एक्स) पुलिस आयुक्त को उसमें निर्दिष्ट मामलों के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार देता है। तीसरा, यह इस वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, पुलिस आयुक्त, बैंगलोर ने खंड (डब्ल्यू) और (एक्स) में निर्दिष्ट गतिविधियों को विनियमित करने, नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने के लिए 2005 का आदेश जारी किया है। चौथा, इन तीन कारणों के आलोक में, जहां तक 2005 के आदेश को जारी करने के लिए पुलिस आयुक्त की शक्ति के स्रोत का संबंध है, कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। पाँचवाँ, 2005 का आदेश तीन गतिविधियों से निपटने के लिए जारी किया गया है, जो अधिनियम की धारा 2 (15) में परिभाषित "सार्वजनिक मनोरंजन" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की व्यावसायिक गतिविधि, अर्थात। , रेस्तरां का संचालन और लाइव बैंड और दो अन्य का प्रदर्शन इसके अंतर्गत आता है।

अभिव्यक्ति "सार्वजनिक मनोरंजन"। छठा, उपरोक्त तर्कों के आलोक में, कैबरे, डिस्कोथेक या लाइव बैंड म्यूजिक को 2005 ऑर्डर की कठोरता के अधीन किया जाता है। वास्तव में, 2005 का आदेश केवल रेस्तरां में तीन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने, विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। चूंकि इन प्रदर्शनों को एक रेस्तरां में प्रदर्शित किया जाता है जहां जनता की पहुंच होती है और इसलिए, व्यापक सार्वजनिक हित में, इन प्रदर्शनों को नियंत्रित, विनियमित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

कानून में उचित प्रतिबंधों को लागू करके पर्यवेक्षण

अनुच्छेद 19 का खंड (6)। सातवां, कैबरे, [2018] 1 एस. सी. आर. को प्रदर्शित करने के लिए खंड 3,2005 के आदेश के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बनाना।

जनहित की शर्तें। ये स्थितियाँ आम जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करती हैं जो नियमित रूप से भोजन लेने और रेस्तरां में कलाकारों के लाइव प्रदर्शन को देखने के लिए ऐसे रेस्तरां में जाते हैं। वास्तव में, यदि ये सुरक्षा उपाय रेस्तरां चलाते समय रेस्तरां के मालिकों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता है, आम जनता को हमेशा अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए खुद को अधीन करने का जोखिम होगा। [पारस 51-58] [564-बी-सी; 565 सी]

क्या 2005 का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है

भारत का संविधान और क्या भेदभावपूर्ण है? 2.1 अपीलार्थी मनमानेपन या भेदभाव का कोई मामला नहीं बना पाया है ताकि इसकी कठोरता को आकर्षित किया जा सके।

संविधान का अनुच्छेद 14। वास्तव में, 2005 का आदेश कोई भेदभाव पैदा नहीं करता है। [पारस 72,73] [567-एफ-जी]

2.2 2005 के आदेश के खंड 2 (बी), (डी) और (जे) में निर्दिष्ट तीन प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने में लगे रेस्तरां कानूनी दायित्व के तहत लाइसेंस लेने के लिए बाध्य हैं।

खंड 3. हालाँकि, अपीलार्थी के अनुसार, खंड 3 का परंतुक एक भेदभाव पैदा करता है क्योंकि उन रेस्तरां को लाइसेंस प्राप्त करने से बाहर करने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है जो यक्षगान का संचालन कर रहे हैं।

बयालता (क्षेत्रीय नाटक) या भरतनाट्यम, लोक कला, संगीत गायन, गायन या वाद्य जैसे वीणा या मृदना आदि। वहाँ कोई नहीं है

निम्नलिखित कारणों से इस प्रस्तुति में योग्यता। सबसे पहले, यह पुलिस आयुक्त को अपने विवेक से निर्णय लेना है

आदेश 2005 के दायरे में क्या लाया जाना चाहिए और इसके चंगुल से क्या छोड़ा जाना चाहिए, इस बारे में पूरी तथ्य स्थिति की समग्रता तक। दूसरा, प्रावधान में निर्दिष्ट प्रदर्शन, आमतौर पर रेस्तरां में नहीं किए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टौरेंट्स एसो होते हैं।

वी. कर्नाटक राज्य

एक समय के रूप में सिनेमाघरों या/और सभागारों में प्रदर्शन किया गया

कलाकारों द्वारा प्रदर्शन जबकि तीन प्रदर्शन आइटम-कैबरे, डिस्कोथेक और लाइव बैंड म्यूजिक वे गतिविधियाँ हैं जो नियमित रूप से प्रदर्शन की जाती हैं और अधिक भीड़ को आकर्षित करती हैं और अंत में प्रावधान में निर्दिष्ट वस्तुओं में किसी भी प्रकार की अभद्रता या अश्लीलता शामिल नहीं होती है, जबकि अन्य तीन प्रदर्शन जब तक नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। परंतुक प्रकृति में अधिक स्पष्ट है। इसके अलावा, किसी भी मामले में, यदि आयुक्त को लगता है कि परंतुक में निर्दिष्ट प्रदर्शन

आदेश 2005 के दायरे में भी लाया जा सकता है तो वह हमेशा खंड 3 में इस तरह के किसी भी प्रदर्शन को शामिल करने के लिए स्वतंत्र है। [पारस 73-76] [567-G-H; 568-F]

2.3 पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, यह स्पष्ट है कि आदेश 2005 किसी भी मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है या

अनुचितता। नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने 2005 के आदेश को संवैधानिक और कानूनी होने के रूप में बरकरार रखा। [पैरा 78] [568-जी-एच]

2.4 2005 के आदेश को बरकरार रखा गया है। तदनुसार, प्रतिवादी

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें उन सभी लाइसेंसधारियों के संबंध में 2005 के आदेश की सभी शर्तें शामिल हैं जिनके पक्ष में लाइसेंस जारी किए गए हैं। आयुक्त आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन रेस्तरां मालिकों ने अब तक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है और फिर भी बिना लाइसेंस के अपना रेस्तरां चला रहे हैं, ऐसे रेस्तरां मालिकों को आदेश 2005 में दिए गए अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कुछ उचित समय दिया जाएगा, जो अकेले उन्हें आदेश 2005 की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने रेस्तरां चलाने में सक्षम बनाएगा। करने में विफलता रेस्तरां मालिकों को उचित समय देने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें बंद करने की सूचना देने के बाद उनके रेस्तरां बंद हो जाएंगे। [पारस 79-81] [569-A, C-D]

व्यक्तिगत कल्याण बनाम सामुदायिक कल्याण की अवधारणा।

3. " सालुस पोपुली सुप्रीमो लेक्स "का अर्थ है लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है और दूसरा है" सालुस रिपब्लिक "। सुप्रीम लेक्स का अर्थ है राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है। यह पुलिस कर्मियों/[2018] 1 एस. सी. आर. का प्रमुख कर्तव्य है, बल्कि वैधानिक कर्तव्य है।

प्रत्येक राज्य का प्रशासन लोगों और राज्य की सुरक्षा और नैतिकता को बनाए रखने और प्राथमिकता देने के लिए। वास्तव में, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इस सिद्धांत के केंद्र में हैं कि किसी व्यक्ति का कल्याण समुदाय के कल्याण के अनुरूप होना चाहिए। 1963 के अधिनियम और 2005 के आदेश को बड़े पैमाने पर लोगों की सुरक्षा और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया है। [पारस 38,39] [560 सी-डी, ई]

2005 के आदेश के खंड 7,8 और 9 के तहत अनुपालन।

4.1 खंड 7,8 और 9 में निर्दिष्ट शर्तें सीधे सार्वजनिक सुरक्षा, आराम, सुविधा, नैतिकता और कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं और किसी भी खंड में कोई अनुचितता या मनमानेपन नहीं है ताकि यह माना जा सके कि वे रेस्तरां चलाने और तीन प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए अव्यवहारिक हैं। जो लोग खुद को इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असमर्थ पाते हैं या महसूस करते हैं कि उनके लिए अनुपालन करना संभव नहीं है, वे कर सकते हैं

अपने रेस्तरां में प्रदर्शनों को प्रदर्शित न करें। खंड 7,8 और 9 में निर्धारित सभी उपायों का लाइसेंस प्राप्त करने से पहले प्रत्येक रेस्तरां मालिक द्वारा अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है और उन्हें मुद्रा के दौरान इसके अनुपालन का पालन करना जारी रखना चाहिए। ग्राहकों और क्षेत्र के निवासियों के लाभ, सुरक्षा और कल्याण के लिए नियमित आधार पर लाइसेंस। इसके अलावा, 2005 के आदेश ने उचित रूप से शक्तियों पर एक नियंत्रण प्रदान किया है

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को अनुज्ञप्ति देने या अस्वीकार करने में क्योंकि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को अब अनुज्ञप्ति अस्वीकार करने के कारण देने की आवश्यकता है। इस तरह की अस्वीकृति को हमेशा किसी पीड़ित द्वारा न्यायालय में चुनौती का विषय बनाया जा सकता है। इस प्रकृति का एक प्रावधान 2005 के आदेश के तहत लाइसेंस देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की मनमानी को समाप्त कर देता है। [पारस 62,63 और 68 71] [566-ई, एफ; 567-सी-ई]

4.2 जनहित, कल्याण और आम जनता की सुरक्षा हमेशा किसी व्यक्ति के अधिकार पर हावी होती है। कोई प्रतिबंध नहीं है।

किसी भी व्यक्ति को ऐसा व्यवसाय करने के लिए। हालाँकि, यदि वह इस तरह के व्यवसाय को जारी रखना चाहता है, तो उसे व्यवसाय को जारी रखने के लिए बनाए गए मानदंडों और वैधानिक विनियमों का पालन करना होगा। वह. यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह व्यवसाय जारी रखेगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मानदंडों और विनियमों को सुनिश्चित किए बिना।

[पैरा 64] [566-एफ-जी] कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टौरेंट एसो। वी. कर्नाटक राज्य

4.3 वास्तव में, मुंबई के एक रेस्तरां में हाल ही में हुई एक घटना का न्यायिक नोटिस लिया जाता है, जहां सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने में चूक के कारण रेस्तरां में बैठे कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। कुछ साल पहले उपाहार में भी इसी तरह की एक और घटना हुई थी

दिल्ली में रंगमंच जहाँ कई निर्दोष लोगों की जान चली गई सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वे नागरिकों की यादों से कभी नहीं मिटती हैं और

सभी हितधारकों को एक संदेश दें कि भविष्य में किसी भी स्थान पर इस तरह की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सख्त अनुपालन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सभी हितधारकों को उपरोक्त रखने के लिए

मन में टिप्पणियाँ। [पारस 66,67] [567-ए-सी]

5.1 यद्यपि 2005 के आदेश के खंड 7 (के) में यह सुनिश्चित करने के लिए सामान्य रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रस्तावित परिसर में कोई समस्या न हो। कोई बाधा, असुविधा, झुंझलाहट, जोखिम, खतरा या

निवासियों या ऐसे परिसर के राहगीरों को नुकसान, लेकिन ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित कोई विशिष्ट खंड/शर्त नहीं है जो तीन गतिविधियों के नियमित प्रदर्शन और प्रदर्शन के कारण पैदा होने की संभावना है या पैदा करने के लिए बाध्य है।

रेस्तरां इस तरह से अशांति, झुंझलाहट और

आस-पास के क्षेत्र के निकट निवासियों को असुविधा। आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी रेस्तरां में तीन प्रदर्शनों में से किसी के कारण आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को कोई ध्वनि प्रदूषण न हो और इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए जाएं। इसी तरह, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए

अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में आग लगाना, विशेषज्ञों की टीम के मार्गदर्शन में उचित विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। ये कदम जनहित में हैं और इसे पुलिस आयुक्त द्वारा न केवल लाइसेंस देने के समय बल्कि बिना किसी चूक के लाइसेंस प्राप्त परिसर का नियमित निरीक्षण करके भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [पारस 82,83] 569-डी-जी]

बिजोए इमैनुएल और ओआरएस। वी. केरल राज्य और अन्य। (1986) 3 एससीसी 615 [1986] 3 एससीआर 518; सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सरकार। भारत और ओआरएस। वी. क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल एंड ओआरएस। (1995) 2 एससीसी

161 : [1995] 1 एस. सी. आर. 1036; टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम

टेलीफोन निगम लिमिटेड (1995) 5 एस. सी. सी. 139: [1995] 2 पूरक। एससीआर 467; श्रीमती उषा उथुप बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1984 Cal.268; सकल पेपर्स (प्रा. लिमिटेड वी. यू. ओ. आई. एयर 1962 एस. सी. 305: [1962] एस. सी. आर. 842; इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. यू. ओ. आई. और अन्य। (1985) 1 एससीसी 641: [1985] 2 एससीआर 287; एक्सप्रेस न्यूजपेपर (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. यू. ओ. आई. और अन्य। एयर

1958 एससी 578: [1959] एस. सी. आर. 12; जीवन बीमा निगम। भारत का वी. मनुभाई डी. शाह (1992) 3 एससीसी 637: [1992] 3 एससीआर 595; आर. राजगोपाल @आर. आर. गोपाल और अन्र। वी. टी. एन. और अन्य का राज्य। (1994) 6 एससीसी 632: [1994] 4 पूरक। एससीआर 353; के. ए. अब्बास बनाम यू. ओ. आई. और एन. आर. (1970) 2 एससीसी 780 [1971] 2 एससीआर 446; मोहम्मद। फारुक वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। (1969) 1 एससीसी 853: [1970] 1 एस. सी. आर. 156; धरम दत्त और अन्य। वी. यू. ओ. आई. और अन्य। (2004) 1 एस. सी. सी. 712 [2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 151; सेलुलर

ऑपरेटर्स एसन। भारत और ओआरएस। वी. ट्राई और ओआरएस। (2016) 7 एस. सी. सी. 703 [2016] 9 एस. सी. आर. 1; मेसर्स द्वारका प्रसाद

लक्ष्मी नारायण बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। ए. आई. आर 1954 एस. सी 224: [1954] एससीआर 803; महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. वी. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। & ओआरएस। (2013) 8 एससीसी 519: [2013] 7 एससीआर 654; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एएनआर। वी. यू. ओ. आई. और एन. आर. (2013) 10 एससीसी 1: [2013] 12 एससीआर 283; राजा वीडियो पार्लर और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (1993) 3 एससीसी 708: [1993] 1 पूरक। एस. सी. आर. 149; मेसर्स नूरुल्ला गज़नफरुल्ला बनाम। नगरपालिका बोर्ड ऑफ अलीगढ़ एंड ओआरएस। (1982) 1 एससीसी 484; आंध्र इंडस्ट्रियल वर्क्स, ए. पी. बनाम आयात और अन्य के मुख्य नियंत्रक। ए. आई. आर 1974 एस. सी 1539: [1975] 1 एस. सी. आर. 327; डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम। बिहार राज्य और अन्र. ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 740 [1966] एस. सी. आर. 709; दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स

कं. लिमिटेड आदि। वी. यू. ओ. आई. आदि (1983) 4 एस. सी. सी. 166: [1983] 3 एससीआर 438; इलाची देवी (डी) एल. आर. और अन्य द्वारा। वी. जैन सोसायटी, अनाथों का संरक्षण भारत और अन्य। (2003) 8 एस. सी. सी. 413 [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 62; एम. जे. सिवानी और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (1995) 6 एस. सी. सी. 289; इंदुलाल के.

याग्निक बनाम। राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1963 गुजरात 259 ; साइया वी। न्यूयॉर्क राज्य के लोग 334 यूएस 558 (1948) -

प्रतिष्ठित।

आर. एन. ए. टी. ए. के. लाइव बैंड रेस्टौरेंट एसो. वी. कर्नाटक की स्थिति

बुधन चौधरी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 191: [1955] एससीआर 1045; राम कृष्ण डालमिया और अन्य। वी. एस. आर. तेंदुलकर और अन्य। ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538 [1959] एस. सी. आर. 279; मद्रास राज्य बनाम वीजी रो एयर 1952 एससी 196: [1952] एस. सी. आर. 597-अनुसरण किया गया।

एसोसिएशन और ओआरएस। (2013) 8 एससीसी 519 [2013] 7 एससीआर 654; शहर का नगर निगम अहमदाबाद और ओआरएस। वी. जान मोहम्मद उस्मानभाई और अन्र। (1986) 3 एससीसी 20: [1986] 2 एस. सी. आर. 700; दीपक थिएटर, धुरी बनाम। पंजाब राज्य और अन्य। (1992) पूरक।

1 एससीसी 684: [1991] 3 पूरक। एस. सी. आर. 242; मिनर्वा टॉकीज़, बैंगलोर और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (1988) पूरक। एस. सी. सी. 176-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1986] 3 एससीआर 518

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1995] 1 एससीआर 1036

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1995] 2 पूरक। एससीआर 467 विशिष्ट

पैरा 32

प्रतिष्ठित

पैरा 32

AIR 1984 Cal.268 [1962] एससीआर 842

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1985] 2 एससीआर 287

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1959] एससीआर 12

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1992] 3 एससीआर 595

प्रतिष्ठित

पैरा 32

पैरा 32

[1994] 4 पूरक। एससीआर 353 विशिष्ट

[1971] 2 एससीआर 446

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1970] 1 एससीआर 156

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[2003] 6 पूरक। एस. सी. आर. 151 विशिष्ट

पैरा 32

[2016] 9 एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1954] एससीआर 803

प्रतिष्ठित

[2013] 7 एससीआर 654

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[2013] 12 एससीआर 283

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1993] 1 पूरक। एस. सी. आर. 149 विशिष्ट

पैरा 32

(1982) 1 एससीसी 484

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1975] 1 एससीआर 327

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1966] एससीआर 709

पैरा 32

प्रतिष्ठित

[1983] 3 एससीआर 438

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[2003] 4 पूरक। एससीआर 62

प्रतिष्ठित

पैरा 32

(1995) 6 एससीसी 289

प्रतिष्ठित

पैरा 32

ए. आई. आर. 1963 गुजरात 259

प्रतिष्ठित

पैरा 32

334 यूएस 558 (1948)

प्रतिष्ठित

पैरा 32

[1955] एससीआर 1045

पैरा 42

पीछा किया।

[1959] एससीआर 279

पीछा किया।

पैरा 43

[1990] 3 एससीआर 441

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[2013] 7 एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

[1952] एससीआर 597

पीछा किया।

पैरा 47

[1986] 2 एससीआर 700

संदर्भित किया गया है

पैरा 48

संदर्भित किया गया है

[1991] 3 पूरक। एससीआर 242

पैरा 48

(1988) पूरक। एससीसी 176

पैरा 49

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

07 .

उच्च न्यायालय के 19.04.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बैंगलोर में आर. एन. ए. टी. ए. रिट अपील सं. 556/2007 (जी. एम.-पुलिस)

एस. एन. भट, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

वी. एन. रघुपति, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. यह अपील गंभीर है।

कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टॉरेंट्स एसो द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.04.2007।

वी. कर्नाटक राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2007 की रिट अपील संख्या 556 (जी. एम.-पुलिस) में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा लिखित याचिका No.27523 में पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

2. अपील में शामिल विवाद की सराहना करने के लिए, पृष्ठभूमि सहित तथ्यों को विस्तार से निर्धारित करना आवश्यक है। तथ्य, जिसके कारण यह अपील दायर की गई।

3. अपीलार्थी कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पंजीकृत संगठन है। द.

एसोसिएशन का गठन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो बैंगलोर शहर (अब बेंगलुरु) के विभिन्न हिस्सों में रेस्तरां चलाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

4. अपने ग्राहकों को खाद्य पदार्थ/पेय पदार्थ परोसने के अलावा, इन रेस्तरां के मालिक भी अपने ग्राहकों का मनोरंजन करते हैं।

अपने रेस्तरां में "लाइव बैंड संगीत" प्रदर्शित करना। वास्तव में, "लाइव बैंड संगीत" की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रेस्तरां में अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना है। कुछ रेस्तरां में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए "कैबरे नृत्य" और "डिस्कोथेक" भी किया जाता है। 5. रेस्तरां में "लाइव बैंड म्यूजिक" और अन्य दो वस्तुओं की सुविधा ने विवाद को जन्म दिया, जिसके कारण रिट दायर की गई।

6. कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), पुलिस बल/प्रशासन से संबंधित कई अन्य मामलों से निपटने के अलावा, "पुलिस" विषय से भी संबंधित है। अधिनियम के अध्याय IV में विनियम।

7. धारा 31, जो अध्याय IV में आती है, बनाने की शक्ति से संबंधित है,

यातायात के विनियमन और सार्वजनिक स्थानों पर व्यवस्था के संरक्षण के लिए जारी किए गए आदेशों को बदलें या रद्द करें। यह धारा आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को इस चेतावनी के अधीन आदेश देने, बदलने या रद्द करने का अधिकार देती है कि यह अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होना चाहिए।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त हैं।

यातायात को विनियमित करना और सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित और नियंत्रित करना। धारा 31 (ए) से (जेड) ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया है। यह है,

इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, बेंगलुरु के आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट ने वर्ष 1989 में एक आदेश जारी किया जिसे "सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंस और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 1989" (इसके बाद "आदेश 1989" के रूप में संदर्भित) कहा गया। आयुक्त ने तब रेस्तरां मालिकों से, जो अपने रेस्तरां में "लाइव बैंड संगीत" प्रदर्शित कर रहे थे, अपने रेस्तरां चलाने और लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित करने के लिए आदेश 1989 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने का आह्वान किया। 9. रेस्तरां मालिकों ने व्यथित महसूस किया और कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। उनके अनुसार, उनके रेस्तरां

जिसमें वे अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए "लाइव बैंड संगीत" प्रदर्शित कर रहे थे, वह ऑर्डर 1989 के तहत शामिल गतिविधि नहीं थी। यह था।

उन्होंने तर्क दिया कि इन रेस्तरां को अधिनियम की धारा 2 (14) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक मनोरंजन" के स्थान के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत परिभाषित "सार्वजनिक मनोरंजन" के स्थान के रूप में माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, रिट याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि आदेश 1989 की प्रयोज्यता केवल "सार्वजनिक मनोरंजन" के स्थानों तक ही सीमित थी और चूंकि रेस्तरां लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए उनके स्थान को अधिनियम की धारा 2 (14) के तहत परिभाषित सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान नहीं कहा जा सकता था। यही कारण है कि आदेश 1989 के प्रावधानों को उनके रेस्तरां तक नहीं बढ़ाया जा सका।

10. यह तर्क दिया गया कि "सार्वजनिक मनोरंजन" में आने वाली गतिविधियों और "सार्वजनिक मनोरंजन" में आने वाली गतिविधियों के बीच अंतर है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (14) और धारा 2 (15) में परिभाषित दो अभिव्यक्तियों से स्पष्ट है।

11. रिट अदालत (एकल न्यायाधीश) ने रिट याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त तर्क में सार पाते हुए रिट याचिकाओं को अनुमति दी और

आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने राज्य द्वारा दायर एक अपील में एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया और राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या के रूप में विशेष अनुमति के माध्यम से अपील दायर की। 1857-1858 2000 से।

12. दिनांक 28.11.2002 (अनुलग्नक पी-3) के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल कर दिया।

यह आयोजित किया गया था कि कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टौरेंट्स एसो। वी. कर्नाटक राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

रिट याचिकाकर्ताओं के परिसर, यानी लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित करने वाले रेस्तरां "सार्वजनिक मनोरंजन" का स्थान नहीं है, बल्कि यह "सार्वजनिक मनोरंजन" का स्थान है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आदेश 1989, इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं (अपीलार्थियों) के भोजनालयों में की जाने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए लागू नहीं था क्योंकि यह आदेश 1989 के दायरे से बाहर था। आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है:

" हमारे उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों के परिसर, जो "सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान" है, को केवल एक लाइव बैंड के कारण "सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान" भी नहीं माना जा सकता है।

परिसर। डिवीजन बेंच का विवादित फैसला उच्च न्यायालय को दरकिनार कर दिया गया है और ये अपीलें हैं

तदनुसार अनुमति दी गई। "

13. इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के साथ, बैंगलोर शहर के पुलिस आयुक्त को वर्ष 2005 में आदेश जारी करने की आवश्यकता थी।

" सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों का अनुज्ञप्ति और नियंत्रण (बैंगलोर शहर) आदेश, 2005 "(इसके बाद इसे" आदेश "के रूप में संदर्भित किया गया है।

2005 ") अधिनियम की धारा 31 के तहत। यह वही आदेश है जिसने उच्च न्यायालय में और अब इस अपील में मुकदमेबाजी के दूसरे दौर को जन्म दिया।

14. आदेश 2005 जिसके साथ हम इस अपील में संबंधित हैं।

रेस्तरां में "लाइव बैंड संगीत", "कैबरे नृत्य" और "डिस्कोथेक" प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करने वाले रेस्तरां के संचालन और कामकाज को विनियमित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त द्वारा पारित किया गया था। आदेश 2005 के विवरण का उल्लेख बाद में मुद्दों से निपटने के दौरान किया जाएगा।

15. अपीलार्थी-संगठन ने आदेश 2005 द्वारा दायर रिट याचिकाओं से व्यथित महसूस किया और इसकी वैधता और वैधता को चुनौती दी। द सिंगल

न्यायाधीश का विचार था कि चूंकि आयुक्त ने आदेश जारी करने से पहले अधिनियम की धारा 31 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता से कोई आपत्ति नहीं आमंत्रित की थी, इसलिए आदेश 2005 कानून की दृष्टि से गलत है।

16. एकल न्यायाधीश ने, तदनुसार, रिट याचिकाओं का निपटारा किया और पुलिस आयुक्त को 2005 के आदेश [2018] 1 एस. सी. आर. पर विचार करने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाओं में "मसौदा आदेश" होने के लिए और बड़े पैमाने पर जनता को प्रस्तावित मसौदा आदेश 2005 के लिए अधिनियम में प्रदान की गई अपनी आपत्तियां दर्ज करने और फिर कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। एकल न्यायाधीश ने आगे कहा कि चूंकि रेस्तरां में लंबे समय तक लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था, इसलिए रेस्तरां के मालिकों के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा, अगर वे प्रदर्शन नहीं करते हैं दो महीने की और अवधि के लिए लाइव बैंड संगीत। तदनुसार, आयुक्त को संबंधित पक्षों द्वारा दायर आपत्तियों पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने और फिर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

17. एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट, अपीलार्थी

नियम बनाए जाने तक लाइव बैंड संगीत। हालाँकि, इस अदालत ने रेस्तरां के मालिकों पर तीन शर्तें लगा दीं। सबसे पहले, मनोरंजन के प्रस्तावित प्रदर्शन का उपयोग सार्वजनिक जुआ को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाएगा या खेल घर, इसका उपयोग वेश्यावृत्ति के लिए नहीं किया जाएगा और रेस्तरां में किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, रेस्तरां मालिक किसी भी प्रदर्शन या शो का आयोजन या अनुमति नहीं देंगे, जो अनैतिक, अश्लील या अभद्र हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि पोशाक, गतिविधि या हाव-भाव में कोई अश्लीलता या अभद्रता न हो और यह सुनिश्चित करेंगे कि कलाकार अपने व्यक्ति को उजागर न करें; और तीसरा, रेस्तरां मालिक अपने रेस्तरां में किसी भी अश्लील या आपत्तिजनक पोस्टर या चित्र को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देंगे। रेस्तरां के मालिकों ने यह भी वचन दिया कि वे अपने रेस्तरां में इन तीनों चीजों को नहीं होने देंगे।

19. आयुक्त ने निर्देश के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद 09.12.2005 (अनुलग्नक-P-8) पर विवादित आदेश 2005 जारी किया। इसने अपीलार्थी-एसोसिएशन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर करने को जन्म दिया।

20. आदेश 2005 को चुनौती मुख्य रूप से दो आधारों पर आधारित थी। पहला, अनुज्ञप्ति आदेश, 2005 अधिनियम के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

संविधान और प्रकृति में भेदभावपूर्ण होना, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

दूसरा, यह अपीलार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जिसकी गारंटी दी गई है।

21. एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-एसोसिएशन के उपरोक्त दोनों प्रस्तुतियों को खारिज कर दिया और 09.02.2007 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया। अपीलार्थी की रिट याचिका। इसके परिणामस्वरूप, आदेश 2005 को बरकरार रखा गया।

22. अपीलार्थी ने व्यथित महसूस किया और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर की। डिवीजन बेंच ने सहमति व्यक्त की

एकल न्यायाधीश के तर्क और निष्कर्ष के साथ और विवादित निर्णय द्वारा, अपील को खारिज कर दिया।

23. रिट याचिकाकर्ताओं ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की। इस तरह पहुंचा मामला

इस न्यायालय को अधिनियम की धारा 31 के तहत आयुक्त द्वारा जारी आदेश 2005 की वैधता और शुद्धता की जांच करने के लिए।

24. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एस. एन. भट और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री वी. एन. रघुपति को सुना।

25. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील (रिट याचिकाकर्ता/रेस्तरां मालिक संघ) की वैधता और शुद्धता पर जोर देते हुए

एकल न्यायाधीश (रिट कोर्ट) और डिवीजन बेंच के तर्क और निष्कर्ष ने एक ही प्रस्तुतियों को दोहराया, जो थे

अपीलार्थी द्वारा नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के समक्ष असफल आग्रह किया गया।

26. अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि

रेस्तरां में लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित करने की गतिविधि, जिसके साथ हम इस अपील में संबंधित हैं, प्रकृति की गतिविधि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 31 के चार कोनों के भीतर लाया जा सकता है ताकि विवादित आदेश 2005 द्वारा इसके कामकाज को विनियमित किया जा सके।

27. दूसरे शब्दों में, प्रस्तुतिकरण यह था कि यह आवश्यक नहीं है

अपीलार्थी अपने भोजनालयों में लाइव बैंड संगीत प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस लेने के लिए और ऐसी गतिविधि भोजनालयों में आदेश 2005 के तहत लाइसेंस के बिना भी की जा सकती है, जैसा कि उनके द्वारा 2005 तक किया जा रहा था।

28. उनका निवेदन था कि आदेश 2005 के खंड 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रेस्तरां मालिकों पर पुलिस आयुक्त का आग्रह अनुच्छेद 14 [2018] 1 एस. सी. आर. में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने के उनके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

29. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आदेश 2005 में निर्दिष्ट शर्तें अव्यवहारिक, अनुचित और कठोर हैं और इस प्रकार उन्हें लागू करने में असमर्थ हैं। विद्वान वकील के अनुसार, शर्तें बिना किसी उचित वर्गीकरण के दोनों समान रेस्तरां के बीच भेदभाव भी पैदा करती हैं क्योंकि इसके लिए एक रेस्तरां मालिक को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और अन्य समान रेस्तरां मालिकों को लाइसेंस प्राप्त करने से बाहर रखा जाता है।

30. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि चूंकि रेस्तरां चलाते समय अपीलकर्ता पर लगाए गए प्रतिबंध अव्यवहारिक या/और अनुचित पाए जाते हैं, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

31. विद्वान वकील ने तब आदेश 2005 के विभिन्न खंडों का उल्लेख करते हुए उपरोक्त प्रस्तुतियों को विस्तार से बताया ताकि कार्यान्वयन में उनकी अनुचितता और कठोरता को दिखाया जा सके और तर्क दिया कि आदेश 2005 को असंवैधानिक होने के कारण रद्द किया जाना चाहिए।

32. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अपनी दलीलों के समर्थन में मामलों का एक संकलन दायर किया। ये फैसले बिजोए हैं।

इमैनुएल और ओआरएस। बनाम केरल राज्य और अन्य। (1986) 3 एस. सी. सी. 615, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत और अन्य। बनाम बंगाल क्रिकेट संघ और अन्य। (1995) 2 एससीसी 161, टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, (1995) 5 एस. सी. सी. 139, श्रीमती उषा उथुप बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। , ए. आई. आर. 1984 Cal.268, सकल पेपर्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम। यू. ओ. आई., ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 305, इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। बनाम। यू. ओ. आई. और अन्य। (1985) 1 एस. सी. सी. 641, एक्सप्रेस अखबार (पी) लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम। यू. ओ. आई. और अन्य। ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 578, जीवन बीमा निगम। भारत बनाम। मनुभाई डी. शाह, (1992) 3 एस. सी. सी. 637, आर. राजगोपाल @आर. आर. गोपाल और अन्र। बनाम। टी. एन. और अन्य का राज्य। , (1994) 6 एस. सी. सी. 632, के. ए. अब्बास बनाम यू. ओ. आई. और एन. आर. (1970) 2 एस. सी. सी. 780, मो. फारुक बनाम। एम. पी. और अन्य का राज्य। (1969) 1 एस. सी. सी. 853, धरम दत्त और अन्य। बनाम। यू. ओ. आई. और अन्य। (2004) 1 एस. सी. सी. 712, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। भारत और ओआरएस। बनाम ट्राई और अन्य। (2016) 7 एस. सी. सी. 703, मेसर्स द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य।

, एयर 1954 एससी 224, कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टोरेंट एसो। वी. कर्नाटक राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

महाराष्ट्र राज्य और अन्र. बनाम इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसन। & ओआरएस। (2013) 8 एस. सी. सी. 519, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. आर. बनाम। यू. ओ. आई. और एन. आर. (2013) 10 एस. सी. सी. 1, राजा वीडियो पार्लर और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (1993) 3 एस. सी. सी. 708, मेसर्स नूरुल्ला गज़नफरुल्ला बनाम अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड और अन्य। (1982) 1 एस. सी. सी. 484, आंध्र इंडस्ट्रियल वर्क्स, ए. पी. बनाम आयात और अन्य के मुख्य नियंत्रक। , ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1539, डॉ. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्र। ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 740, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड आदि। बनाम। यू. ओ. आई. आदि, (1983) 4 एस. सी. सी. 166, इलाची देवी (डी) एल. आर. और अन्य द्वारा। बनाम जैन सोसायटी, अनाथों का संरक्षण भारत और अन्य। , (2003) 8 एस. सी. सी. 413, एम. जे. सिवानी और अन्य। बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। , (1995) 6 एस. सी. सी. 289, इंदुलाल के. याग्निक बनाम। राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1963 गुजरात 259 और साइया बनाम न्यूयॉर्क राज्य के लोग, 334 यू. एस. 558 (1948)।

33. जवाब में, प्रत्यर्थी (राज्य) के विद्वान वकील ने विवादित निर्णय में आए तर्क और निष्कर्ष का समर्थन किया और

उन्होंने तर्क दिया कि अपील का कोई औचित्य नहीं है।

34. इससे पहले कि हम पक्षों के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए विभिन्न प्रस्तुतियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, अधिनियम और आदेश 2005 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना उचित है, जिनका विवाद पर असर पड़ता है।

35. अधिनियम की धारा 2 (14) "सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है जबकि धारा 2 (15) "सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 31 शक्ति प्रदान करती है

पुलिस आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को यातायात के विनियमन और सार्वजनिक स्थानों आदि में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश देने के लिए। धारा 31 का खंड (डब्ल्यू) सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देने या नियंत्रित करने से संबंधित है, जबकि खंड (एक्स) ऐसे अपवादों के साथ लाइसेंस देने या नियंत्रित करने से संबंधित है जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, संगीत, नृत्य, नकल या नाटच या मेला और तमाशे सहित सार्वजनिक मनोरंजन के लिए अन्य प्रदर्शन।

36. आदेश 2005 का खंड 2 कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है जैसे "कैबरे", "डिस्कोथेक", "शैक्षिक संस्थान", "लाइव बैंड", "धार्मिक संस्थान"। खंड 3 लाइसेंस प्राप्त करने से संबंधित है। खंड 4 लाइसेंस के लिए आवेदन से संबंधित है। खंड 5 को शक्ति देता है -

परिसर का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकरण। खंड 7 लाइसेंस देने या अस्वीकार करने से संबंधित है। खंड 8 विचाराधीन परिसर में बैठने की व्यवस्था से संबंधित है। खंड 9 सूचना [2018] 1 एस. सी. आर. से संबंधित है।

डी। खंड 10 लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित है। खंड 11 लाइसेंस के राष्ट्र से संबंधित है। खंड 12 परिवर्तन के निषेध से संबंधित है. खंड 13 संगीत को रोकने की शक्ति से संबंधित है। खंड 14 अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित है। खंड 15 रद्द करने की प्रक्रिया से संबंधित है। खंड 16 अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों के निरीक्षण से संबंधित है। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को नोटिस के साथ खंड और खंड 18 से संबंधित है -

सीई शुल्क।

37. अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ और आदेश के खंड

वर्बेटिम इन्फ्रा में प्रजनन की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 2 (14)

" (14) " सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान "से कोई भी स्थान अभिप्रेत है, जहाँ संगीत, गायन, नृत्य, या कोई मोड़, या खेल, या उसे आगे बढ़ाने के साधन प्रदान किए जाते हैं और जिसमें जनता को प्रवेश दिया जाता है और जिसमें एक रेस कोर्स, सर्कस,

थिएटर, म्यूजिक हॉल, बिलियर्ड रूम, बैगाटेल रूम,

व्यायामशाला, तलवारबाजी स्कूल, स्विमिंग पूल या नृत्य कक्ष;

धारा 2 (15)

(15) " सार्वजनिक मनोरंजन स्थल का अर्थ है कोई भी स्थान जहाँ जनता को प्रवेश दिया जाता है और जहाँ किसी भी प्रकार का भोजन किया जाता है।

या परिसर में उपभोग के लिए पेय की आपूर्ति की जाती है कोई भी व्यक्ति जिसका स्वामित्व या प्रबंधन में रुचि है

ऐसा स्थान और जिसमें जलपान कक्ष, भोजन गृह, कॉफी हाउस, शराब घर, बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, होटल, सराय, या एक दुकान शामिल है जहां शराब, बीयर, स्पिरिट, अरैक, ताड़ी, गांजा, या अन्य प्रकार की शराब या मादक पदार्थ या किसी भी प्रकार का भोजन या पेय जनता को आपूर्ति की जाती है।

ऐसी दुकान में या उसके पास उपभोग;

धारा 31

धारा 31-यातायात के विनियमन और सार्वजनिक स्थानों आदि में व्यवस्था के संरक्षण के लिए आदेश देने की शक्ति (1) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, अपने संबंधित प्रभारों या उसके किसी भी हिस्से के तहत क्षेत्रों में, इस अधिनियम के साथ असंगत आदेशों को बना, बदल या रद्द कर सकते हैं, क्योंकि -

खंड (डब्ल्यू)

(डब्ल्यू) (i) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को लाइसेंस देना या नियंत्रित करना।

या मनोरंजन; RNATAKA LIVE BAND RESTAURANTS ASSO। वी. कर्नाटक राज्य [अभय मनोहर सप्रे, जे.]

((ii) सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन या सभा के स्थानों को रखने से रोकने के लिए

बाधा, असुविधा, झुंझलाहट, जोखिम, खतरा या आसपास के निवासियों या यात्रियों को नुकसान;

((ग) सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन या सभा के स्थानों पर प्रवेश और निकास के साधनों को विनियमित करना और

सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और उसमें गड़बड़ी की रोकथाम के लिए प्रावधान करना;

खंड (x)

(x) (i) मेलों और तमसों सहित सार्वजनिक मनोरंजन के लिए संगीत, नृत्य, नकल, या नाटच या अन्य प्रदर्शनों को ऐसे अपवादों के साथ लाइसेंस देना या नियंत्रित करना, जो निर्दिष्ट किए जाएं;

((ख) लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या आम जनता के हित में, कलाकारों के रोजगार और ऐसे प्रदर्शनों में कलाकारों और दर्शकों के आचरण को विनियमित करना;

((ग) सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा या इस संबंध में आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त सलाहकार समिति द्वारा इस तरह के प्रदर्शन की पूर्व जांच; ((iv) जिन घंटों के दौरान और जिन स्थानों पर इस तरह के प्रदर्शन किए जा सकते हैं, उन्हें विनियमित करना।

आदेश 2005 का खंड 2

ख) 'कैबरे' से नर्तकियों या कलाकारों या किसी अन्य द्वारा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर किए गए नृत्य का एक रूप अभिप्रेत है। संगीत मनोरंजन के एक भाग के रूप में व्यक्ति;

घ) 'डिस्कोथेक' का अर्थ है सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर ग्राहकों या संरक्षकों को किसी भी रूप या दोनों के गायन या नृत्य के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधा; जे) 'लाइव बैंड' का अर्थ है संगीत, लाइव या रिकॉर्ड किया गया, जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रदान किया जाता है, चाहे वह कैबरे सहित किसी भी प्रकार के नृत्य के साथ हो या नहीं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खंड 3

3. लाइसेंस प्राप्त करने की बाध्यता - - कोई व्यक्ति नहीं खोलेगा।

या लाइसेंस प्राधिकरण से इस आदेश के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना लाइव बैंड, कैबरे, डिस्कोथेक जैसे सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को बनाए रखें: बशर्ते कि ऐसे किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों जैसे जलपान कक्ष, भोजन गृह, कॉफी हाउस, बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस, होटल, सराय या दुकान के लिए नहीं होगी, जहां शराब, बीयर, स्पिरिट, अरैक या किसी अन्य प्रकार की शराब, मादक या किसी भी प्रकार के भोजन या पेय की आपूर्ति सार्वजनिक मनोरंजन के ऐसे स्थानों की स्थापना और रखरखाव के लिए लागू प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राप्त वैध लाइसेंस के आधार पर जनता को की जाती है और साथ ही सार्वजनिक मनोरंजन के ऐसे स्थानों की आपूर्ति भी की जाती है।

उपर्युक्त चीजें या सेवाएं और जहां लाइव बैंड, कैबरे या डिस्कोथेक या इसी तरह की प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि नहीं की जाती है:

बशर्ते कि ऐसा कोई लाइसेंस भी नहीं होगा

यक्षगान, बयालता (क्षेत्रीय नाटक), भरतनाट्यम, लोक कला, संगीत गायन, गायन या नाटक के संचालन के लिए आवश्यक वाद्य यंत्र जैसे वीणा, मृदना आदि।

खंड 4

4. लाइसेंस के लिए आवेदन: (1) सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को बनाए रखने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति फॉर्म संख्या 1 में उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजों और अपनी हाल की तीन तस्वीरों के साथ आवेदन करेगा।

(2) खंड 18 के तहत निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर लाइसेंस प्राधिकरण से आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

इस आदेश से।

(3) आवेदन जमा करते समय, आवेदक नामित प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा और उसे संतुष्ट करेगा कि आवेदन के साथ सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

खंड 5

5. परिसर का निरीक्षण-अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी, जो अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किया जाए, यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्ति देने के उद्देश्य से स्थल या परिसर का निरीक्षण कर सकता है। अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या

इस प्रकार अधिकृत अधिकारी, यदि आवश्यक हो, ऐसे निरीक्षण के दौरान किसी अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरण की सहायता ले सकता है।

खंड 7

7. लाइसेंस देना या अस्वीकार करना: (1) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण इस आदेश के तहत अनुज्ञप्ति देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखेगा, अर्थात्: (क) आम जनता का हित;

(बी) आवेदक की स्थिति और पूर्ववृत्त; (ग) पार्किंग स्थल की उपलब्धता के अनुरूप

बैठने की क्षमता;

((घ) कानून और व्यवस्था पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव;

(ई) शैक्षिक या धार्मिक स्थान के आसपास संस्थाएं। इस उद्देश्य के लिए निकटता का अर्थ 200 (दो सौ) मीटर की दूरी के भीतर होगा।

(च) कि मनोरंजन किसी भी तरह से उत्तेजित नहीं करता है धार्मिक भावनाएँ;

(ज) प्रस्तावित मनोरंजन को बढ़ावा नहीं देता है। सार्वजनिक जुआ या परिसर का उपयोग एक जुआ घर में नहीं किया जाएगा या वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करता है या मादक पदार्थों के उपयोग की अनुमति नहीं देता है या किसी अन्य अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं देता है।

(i) कि लाइसेंसधारी प्रदर्शन का आयोजन या अनुमति नहीं देगा।

ऐसे शो जो अनैतिक, अश्लील या अशोभनीय हों और यह सुनिश्चित करें कि पोशाक, हरकत या हाव-भाव में कोई अश्लीलता या अभद्रता न हो या कि कलाकार अभद्र तरीके से अपनी हरकतों को उजागर करें।

(1) कि उस परिसर में सभी पर्याप्त सावधानी बरती गई है जिसके संबंध में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाना है। (2) अनुज्ञप्ति प्राधिकरण संतुष्ट होने पर और इस आदेश के प्रावधानों के अधीन, आवेदक को ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रपत्र-II में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है, और ऐसी अवधि के लिए ऐसे प्रतिबंधों के अधीन जो अनुज्ञप्ति प्राधिकरण निर्धारित करे। एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस का नवीनीकरण किया जा सकता है

एक समय में एक वर्ष से अधिक की अवधि:

बशर्ते कि जहां लाइसेंस प्राधिकरण ने लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसा करेगा और उस आदेश को सूचित किया जाएगा

आवेदक:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी किसी भी शो या सार्वजनिक मनोरंजन का संचालन केवल 10.00 घंटों के बीच कर सकता है। और 23.30 घंटे। हालाँकि, लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार पर 23.30 घंटों से आगे शो या सार्वजनिक मनोरंजन के संचालन की अनुमति दे सकता है। विशेष अवसरों पर प्रत्येक लाइसेंस के लिए वर्ष में ऐसे तीन अवसरों से अधिक नहीं।

बशर्ते कि लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस की अवधि के दौरान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं और यही बात लाइसेंसधारी को बताएँ।

खंड 8

(1) लाइसेंसधारी सार्वजनिक स्थान पर प्रति नौ वर्ग मीटर में बीस से अधिक व्यक्तियों को समायोजित नहीं करेगा। मनोरंजन:

बशर्ते कि बैठने की जगह की गणना करने के उद्देश्य से प्रवेश, मार्ग, गलियारा, गैंगवे और मंच की कटौती की जाएगी। (2)

परिसर के किसी भी दोनों तरफ कम से कम पांच फीट चौड़ी खुली जगह होगी जहां लाइव बैंड होगा।

या डिस्कोथेक किया जाता है।

कम से कम एक आपातकालीन निकास होगा

(3) बाहर की ओर खुलने वाले दरवाजों से सुसज्जित सामान्य द्वार के अतिरिक्त।

पर्याप्त चौड़े द्वार होंगे।

(4) अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करने के लिए या पर्याप्त अच्छी वायु स्थिति का प्रावधान होना चाहिए।

पुरुषों के लिए एक डब्ल्यू. सी. और एक मूत्रालय अलग-अलग

(5) प्रत्येक पचास या उससे कम व्यक्तियों के लिए महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।

लाइसेंस प्राप्त के भीतर कोई भी लाइव बैंड प्रदर्शन

(6) लाइव बैंड के संचालन के लिए परिसर एक मंच पर आयोजित किया जाएगा जिसे बैठने की जगह से ठीक से सीमांकित किया जाएगा। मंच पर या उसके बाहर ग्राहकों/मेहमानों के साथ कलाकारों का कोई मिश्रण नहीं होगा। मंच और बैठने की जगह की पहली पंक्ति के बीच कम से कम पांच फीट की दूरी होनी चाहिए।

खंड 9

9. नोटिस बोर्ड: - (1) प्रत्येक लाइसेंसधारी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर किसी विशिष्ट स्थान पर उपयुक्त आकार का एक बोर्ड लगाएगा या चिपकाएगा जिस पर -

कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखा गया, लाइसेंसधारी का नाम और पता और लाइसेंस की अवधि।

(2) वह, जैसा भी मामला हो, लाइव बैंड, कैबरे, डिस्कोथेक आयोजित करने वाले परिसर की बैठने की क्षमता/अधिकतम क्षमता को भी निर्दिष्ट करेगा।

(3) वह परिसर में एक प्रमुख स्थान पर लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी प्रदर्शित करेगा।

खंड 10

10. लाइसेंस का नवीनीकरण: - (1) नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन [2018] 1 एस. सी. आर.

इस आदेश के तहत दिए गए लाइसेंस की अवधि उस दिन से कम से कम तीस दिन पहले दी जाएगी जिस दिन ऐसा लाइसेंस समाप्त होने वाला है। आवेदन के साथ नवीनीकरण के लिए लाइसेंस और खंड 18 में निर्दिष्ट शुल्क की राशि होगी।

(2) जहाँ उपखंड (1) के अनुसार कोई आवेदन किया जाता है, वहाँ पहले का लाइसेंस तब तक लागू माना जाएगा जब तक कि ऐसे लाइसेंस के नवीनीकरण या अस्वीकृति की सूचना नहीं दी जाती है।

(3) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन, जिसमें नहीं किया गया हो इस खंड के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

खंड 11

11. व्यवसाय के हस्तांतरण के साथ लाइसेंस समाप्त हो जाएगा: सार्वजनिक मनोरंजन स्थल के रखरखाव के लिए इस आदेश के तहत दिया गया लाइसेंस हस्तांतरणीय या हस्तांतरणीय नहीं होगा।

किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने योग्य। जहाँ ऐसा व्यक्ति

अपना व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या सौंपता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ समझौता करता है, जिसमें व्यवसाय पर उसके आचरण या नियंत्रण को छोड़ना शामिल है, उसे दिया गया लाइसेंस ऐसे लेनदेन की तारीख से समाप्त हो जाएगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारक की मृत्यु के मामले में, उसका उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधि इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु की तारीख से लाइसेंस प्राधिकरण को एक महीना

अनुज्ञप्ति की अप्राप्त अवधि के लिए अनुज्ञप्ति को जारी रखने की मांग करना। इस तरह के लाइसेंस को जारी रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

खंड 12

12. नाम परिवर्तन का निषेध: - एक लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान के नाम में कोई बदलाव नहीं करेगा या अपने परिसर का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार के मनोरंजन के उद्देश्य से परिसर का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

वह लाइसेंस के तहत अधिकृत नहीं है।

खंड 13

13. संगीत को रोकने की शक्तिः अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, इस संबंध में बनाए गए एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि ऐसे समय के दौरान कोई संगीत नहीं बजाया जाएगा या बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो वह निर्देश दे।

खंड 14

14. लाइसेंस का निलंबनः यदि सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान रखने वाला कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति या परमिट की अनुमति देता है

गैरकानूनी गतिविधि की योजना बनाने या उसे अंजाम देने के उद्देश्य से ऐसे स्थान पर मिलने या रहने के लिए या इस आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के लिए, लाइसेंस प्राधिकरण के पास उस अवधि के लिए लाइसेंस को निलंबित करने का विवेकाधिकार होगा जो वह उचित समझे और ऐसे व्यक्ति को उस अवधि के लिए स्थान को बंद करने का निर्देश दे जो वह निर्दिष्ट करे। जिस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्राधिकरण द्वारा ऐसा निर्देश जारी किया जाता है, वह ऐसे निर्देश का पालन करेगा। हालांकि, निलंबन की अवधि एक बार में 30 दिनों से अधिक नहीं होगी।

खंड 15

15. लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रियाः इस आदेश के तहत दिया गया कोई भी लाइसेंस तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइसेंस धारक को यह कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है कि उसका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

खंड 16

सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान को हर समय बनाए रखना होगा। अनुज्ञप्ति प्राधिकरण या क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले या पुलिस निरीक्षक के पद से कम के किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे स्थान पर मुफ्त पहुंच की अनुमति दें।

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने और संतुष्ट करने के लिए कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस आदेश के प्रावधानों का पालन किया है, आवश्यक समझे जाने पर निरीक्षण करेगा।

खंड 17

17. अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को सूचनाः हर व्यक्ति को,

जैसे ही वह स्वेच्छा से सार्वजनिक स्थान [2018] 1 एस. सी. आर. को बंद कर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मनोरंजन जिसके संबंध में इस आदेश के तहत एक लाइसेंस दिया गया है, इस तरह के समापन को सूचित करेगा अनुज्ञप्ति प्राधिकरण।

खंड 18

18. शुल्कः - प्रति वर्ष प्रत्येक लाइसेंस के लिए लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार होगाः

((i)

Rs.20,000 /

नया लाइसेंस

((ख)

नवीनीकरण

5, 000/-

रुपये

आवेदन पत्र शुल्क

Rs.500/- 9

"

(iii)

38. दो लैटिन कानूनी सिद्धांत हैं, जिन्हें इस अपील में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय लेते समय ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक है "सालुस"।

पोपुली सुप्रीमो लेक्स "जिसका अर्थ है लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है और दूसरा है" सालुस रिपब्लिक सुप्रीमो लेक्स "जिसका अर्थ है राज्य की सुरक्षा सर्वोच्च कानून है।

39. हमारे सुविचारित विचार में, यह प्रमुख कर्तव्य है, बल्कि वैधानिक है।

40. हमारे विचार में, जब भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) की कसौटी पर विवादित कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो हमें इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा, जिसमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) के दायरे और दायरे की स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से जांच की है। 41. जहाँ तक अनुच्छेद 14 का संबंध है, बुधन में इस न्यायालय के दो निर्णयों में निर्धारित कानून का उल्लेख करना उपयोगी है।

चौधरी बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 191 और राम कृष्ण डालमिया और अन्य। बनाम। एस. आर. तेंदुलकर और अन्य। ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538

42. बुधन चौधरी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सही अर्थ समझाया और

अनुच्छेद 14 का दायरा इस प्रकार है:

" 5. ..... अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है, लेकिन यह उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है।

कानून के उद्देश्यों के लिए। हालांकि, पारित करने के लिए

अनुमेय वर्गीकरण का परीक्षण दो शर्तों का होना चाहिए

पूरा किया जाए, अर्थात्, (i) कि वर्गीकरण को स्थापित किया जाना चाहिए।

एक बोधगम्य अंतर पर जो व्यक्तियों को अलग करता है

या ऐसी चीजें जो समूह से बाहर रखे गए अन्य लोगों से एक साथ समूहीकृत हैं, और (ii) कि उस अंतर का एक तर्कसंगत होना चाहिए विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में। वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर आधारित हो सकता है; अर्थात्, भौगोलिक, या वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। आवश्यकता यह है कि

वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। यह भी ठीक है।

इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह स्थापित किया गया है कि अनुच्छेद 14 न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है।

43. राम कृष्ण डालमिया (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उन आई. पी. एल. को दोहराया जो निम्नलिखित शब्दों में ले 14 की कसौटी पर कानून का परीक्षण करने में मदद करेंगे:

“ ((क) कि कोई कानून संवैधानिक हो सकता है, भले ही वह संबंधित हो।

किसी एकल व्यक्ति के लिए यदि, किसी विशेष के कारण उन पर लागू होने वाली परिस्थितियाँ या कारण और नहीं

दूसरों पर लागू होता है, कि एकल व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है

स्वयं एक वर्ग के रूप में; (ख) कि किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में हमेशा एक धारणा होती है और भार उसके ऊपर होता है।

वह जो यह दिखाने के लिए हमला करता है कि एक स्पष्ट हो गया है

संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन;

(ग) यह मान लेना चाहिए कि विधायिका अपने लोगों की आवश्यकता को समझती है और सही ढंग से समझती है, कि

इसके कानूनों को प्रकट की गई समस्याओं के लिए निर्देशित किया जाता है

अनुभव और यह कि इसके भेदभाव आधारित हैं

पर्याप्त आधार; (घ) कि विधायिका नुकसान की मात्रा को पहचानने के लिए स्वतंत्र है और अपने प्रतिबंधों को उन मामलों तक सीमित कर सकती है जहां आवश्यकता को सबसे स्पष्ट माना जाता है; [2018] 1 एस. सी. आर.

(ई) कि की धारणा को बनाए रखने के लिए न्यायालय संवैधानिकता पर विचार कर सकता है

सामान्य ज्ञान के मामले, सामान्य रिपोर्ट के मामले,

उस समय का इतिहास और तथ्यों की हर स्थिति को मान सकता है

जिसकी कल्पना कानून के समय मौजूद की जा सकती है; और

(च) जबकि सद्भावना और विद्यमान का ज्ञान

अदालत के ध्यान में लाई गई परिस्थितियाँ जिन पर वर्गीकरण को यथोचित रूप से आधारित माना जा सकता है,

संवैधानिकता के अनुमान को इस हद तक नहीं ले जाया जा सकता है

हमेशा यह मानते हुए कि कुछ अज्ञात होना चाहिए और

कुछ व्यक्तियों के अधीन होने के अज्ञात कारण या शत्रुतापूर्ण या भेदभावपूर्ण कानून के लिए निगम।

(जोर दिया गया)

44. इन सिद्धांतों को इस न्यायालय ने शशीकांत में दोहराया था।

लक्ष्मण काले और अन्र। बनाम भारत संघ और एएनआर। (1990) 4 एस. सी. सी. 366 और महाराष्ट्र और ए. एन. आर. राज्य में इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में। बनाम इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और अन्य। (2013) 8 एससीसी 519।

45. इसी तरह, जहाँ तक संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी) है

संबंधित, यह अनुच्छेद किसी भी कार्य को जारी रखने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

पेशा, पेशा, व्यापार या व्यवसाय। लेकिन खंड (छ) के तहत गारंटीकृत अधिकार खंड (6) के तहत आम जनता के हित में राज्य द्वारा उचित उचित प्रतिबंधों के अधिरोपण के अधीन है।

46. जैसे-जैसे और जब यह सवाल उठता है कि क्या कोई विशेष

खंड (6) के तहत कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंध उचित है या नहीं, ऐसा प्रश्न न्यायालय पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। तर्कसंगतता की कसौटी को उन मुद्दों के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है, जो विवादित विधायिका के सामने थे। इस तरह के कानूनों के निर्माण में और उनकी वैधता का न्याय करते समय, न्यायालय को सामाजिक हित, नैतिक और भौतिक प्रगति को आगे बढ़ाने के बिंदु से इस मुद्दे पर दृष्टिकोण करना होगा।

समग्र रूप से समुदाय। इसी तरह, इस तरह के प्रश्न की जांच करते समय, कर्नाटक लाइव बैंड रेस्टॉरेंट्स एसो।

नहीं। 47. इस न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम वी. जी. रो, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196 के मामले में तर्कसंगतता की कसौटी निर्धारित की है और

संक्षेप में कहा गया है कि इस संदर्भ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां भी निर्धारित किया जाए, तर्कसंगतता का परीक्षण प्रत्येक व्यक्तिगत क़ानून पर लागू किया जाना चाहिए और तर्कसंगतता का कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न निर्धारित नहीं किया जा सकता है जैसा कि सभी मामलों में लागू होता है। कथित रूप से उल्लंघन किए गए अधिकार की प्रकृति, लगाए गए प्रतिबंधों का अंतर्निहित उद्देश्य, बुराई की सीमा और तात्कालिकता को दूर करने की मांग, अधिरोपण का अनुपात, उस समय की प्रचलित स्थितियां, सभी को न्यायिक दिमाग में प्रवेश करना चाहिए।

48. इस न्यायालय ने आगे फैसला सुनाया है कि खंड (6) में आने वाली "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति व्यापक महत्व की अभिव्यक्ति है जो इसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता, समुदाय के आर्थिक कल्याण और अंत में भाग में उल्लिखित उद्देश्यों को समझती है। संविधान का IV. (शहर के नगर निगम को देखें

अहमदाबाद और ओआरएस। बनाम जान मोहम्मद उस्मानभाई और अन्र। , (1986) 3 एस. सी. सी. 20 और दीपक थिएटर, धूरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य। , 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 684)। 49. इस न्यायालय ने, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह भी फैसला सुनाया है कि राज्य को किसी भी व्यवसाय के संचालन को उचित तरीके से विनियमित करने का अधिकार है।

आम जनता के हित में खंड (6) के तहत प्रतिबंध। यह मिनर्वा टॉकीज़, बैंगलोर और ओआरएस के मामले में आयोजित किया गया था। बनाम राज्य

कर्नाटक और ओआरएस। 1988 सप. एस. सी. सी. 176 कि जारी रखने का अधिकार

सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन का व्यवसाय, जो कर्नाटक सिनेमा विनियमन अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है, उचित प्रतिबंधों की कठोरता के अधीन है और राज्य सरकार के पास एक दिन में टॉकीज़ में प्रदर्शनों की संख्या को सीमित/प्रतिबंधित करने की शक्ति है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे प्रावधान हैं -

सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य संबद्ध मामलों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक। यह था। अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के प्रतिबंध को लागू करना अनिवार्य रूप से विनियामक प्रकृति का है और अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करता है।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

50. इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानून के सामान्य सिद्धांत पर ध्यान देने के बाद, जिसे हमें ध्यान में रखना है, हमें इस सवाल की जांच करनी होगी कि क्या अपील में आक्षेपित आदेश 2005 ने कोई भेदभाव पैदा किया है या क्या आदेश 2005 किसी भी तरह से अनुचित या मनमाना है और अंत में, क्या यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अपीलार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

51. कानून के उपरोक्त सामान्य सिद्धांतों के आलोक में प्रश्नों की जांच करने के बाद, हमारी राय है कि आदेश 2005 किसी भी कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है और इसलिए है

संवैधानिक। यह हम एक से अधिक कारणों से विस्तृत अवसंरचना के रूप में कहते हैं।

52. सबसे पहले, धारा 31 एक वैध विधान है। इसका

संवैधानिकता पर सवाल नहीं उठाया जाता है। दूसरा, धारा 31 का खंड (डब्ल्यू) और (एक्स) पुलिस आयुक्त को इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार देता है - उसमें विनिर्दिष्ट विषय। तीसरा, इस वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंगलोर के पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी किया है।

2005 खंड (डब्ल्यू) और (एक्स) में निर्दिष्ट गतिविधियों का विनियमन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना। चौथा, इन तीन कारणों के आलोक में, पुलिस आयुक्त की शक्ति के स्रोत के रूप में अब तक कोई दोष नहीं पाया जा सकता है आदेश 2005 का संबंध है।

53. पाँचवाँ, आदेश 2005 तीन गतिविधियों से निपटने के लिए जारी किया गया है, जो अधिनियम की धारा 2 (15) में परिभाषित "सार्वजनिक मनोरंजन" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की व्यावसायिक गतिविधि। , रेस्तरां का संचालन और लाइव बैंड और दो अन्य का प्रदर्शन "सार्वजनिक मनोरंजन" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

54. छठा, उपरोक्त तर्कों के आलोक में, कैबरे, डिस्कोथेक या लाइव बैंड संगीत को उचित रूप से कठोरता के अधीन किया जाता है

प्रदर्शन को अनुच्छेद 19 के खंड (6) के तहत कानून में उचित प्रतिबंध लगाकर नियंत्रित, विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाना चाहिए। 55. सातवां, कैबरे, डिस्कोथेक या लाइव बैंड को प्रदर्शित करने के लिए खंड 3 के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य बनाना एक उचित प्रतिबंध है।

भोजनालय चलाने के व्यवसाय को जारी रखने के अपीलार्थी के मौलिक अधिकार पर।

56. वास्तव में, किसी भी व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए उसके मालिक से ऐसा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कहना एक उचित प्रतिबंध माना जाता है। खंड (6) के साथ पठित अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत नागरिक के मौलिक अधिकार पर और हम ऐसे विनियमन में कोई अवैधता नहीं पाते हैं।

जनहित में। ये स्थितियाँ आम जनता की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करती हैं जो नियमित रूप से भोजन लेने और रेस्तरां में कलाकारों के लाइव प्रदर्शन को देखने के लिए ऐसे रेस्तरां में जाते हैं। 58. वास्तव में, यदि रेस्तरां के मालिक अपने रेस्तरां चलाते समय इन सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं, तो सामान्य

जनता को हमेशा अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए खुद को अधीन करने का जोखिम होगा।

59. इस स्तर पर, विभिन्न अनुपालनों पर ध्यान देना भी आवश्यक है, जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा उनके अनुपालन को चलाने के लिए किया जाना आवश्यक है।

रेस्तरां।

60. खंड 7 का उपखंड (ए) सामान्य रूप से जनता के हित से संबंधित है। खंड (बी) आवेदक की स्थिति और पूर्ववृत्तियों से संबंधित है।

परिसर में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को करने की अनुमति। खंड (i) में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी ऐसे शो का आयोजन या अनुमति नहीं देगा जो अनैतिक, अश्लील या अभद्र हों और यह सुनिश्चित करेगा कि पोशाक, गतिविधि या हाव-भाव में कोई अश्लीलता या अभद्रता न हो या/और कलाकार किसी भी प्रकार की अभद्रता में शामिल न हों। उनका व्यक्ति। खंड (जे) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी किसी भी अश्लील [2018] 1 एस. सी. आर. की अनुमति नहीं देगा।

या परिसर में आपत्तिजनक पोस्टर या चित्र प्रदर्शित किए जाने चाहिए। खंड (के) में प्रावधान है कि प्रस्तावित परिसर ऐसे परिसर के निवासियों या राहगीरों के लिए बाधा, असुविधा, झुंझलाहट, जोखिम, खतरा या क्षति का कारण नहीं बनता है और अंत में खंड (1) में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपरोक्त सभी सावधानियां उस परिसर में बरती गई हैं जिसके संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाना है, ताकि जनता को होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके और कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को पूर्ण आराम सुनिश्चित किया जा सके।

रेस्तरां।

61. जहाँ तक खंड 8 का संबंध है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेस्तरां में बैठने की व्यवस्था से संबंधित है। यह छह मापदंडों को निर्धारित करता है

उपखंड (1) से (6) रेस्तरां में बैठने की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक रेस्तरां में कम से कम एक आपात स्थिति होगी।

दरवाजों से सुसज्जित सामान्य द्वार के अलावा बाहर निकलें जो आग लगने के किसी भी खतरे की स्थिति में बाहर की ओर खुलते हैं। इसी तरह, खंड 9 में यह प्रावधान है कि नोटिस बोर्ड को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा और इसका क्या होगा।

सामग्री।

62. हमारी सुविचारित राय में, खंड 7,8 और 9 में निर्दिष्ट शर्तें सीधे सार्वजनिक सुरक्षा, आराम, सुविधा से संबंधित हैं।

नैतिकता और कानून और व्यवस्था और हम उपर्युक्त किसी भी खंड में किसी भी प्रकार की अनुचितता या मनमानेपन को नहीं पा सके हैं ताकि यह माना जा सके कि वे रेस्तरां चलाने और तीन प्रदर्शनों को प्रदर्शित करने के लिए अव्यवहारिक हैं।

63. हमारे विचार में, जो लोग इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं या महसूस करते हैं कि उनके लिए अनुपालन करना संभव नहीं है, वे अपने रेस्तरां में प्रदर्शन प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। 64. जैसा कि ऊपर कहा गया है, जनहित, कल्याण और आम जनता की सुरक्षा हमेशा किसी व्यक्ति के अधिकार पर हावी होती है। वहाँ कोई नहीं है

किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा व्यवसाय करने पर प्रतिबंध। हालाँकि, यदि वह इस तरह के व्यवसाय को जारी रखना चाहता है, तो उसे व्यवसाय को जारी रखने के लिए बनाए गए मानदंडों और वैधानिक विनियमों का पालन करना होगा। उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह व्यवसाय जारी रखेगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए बनाए गए मानदंडों और विनियमों को सुनिश्चित किए बिना।

65. हमारी राय में, यहाँ एक व्यक्ति के अधिकारों का निर्धारण करते समय ऊपर उद्धृत दो उद्धरणों का अनुप्रयोग आता है।

राज्य।

66. वास्तव में, हम हाल ही में मुंबई के एक रेस्तरां में हुई एक घटना का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी

रेस्तरां में बैठे लोग सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने में चूक के कारण खो गए थे। इसी तरह की एक और घटना

कुछ साल पहले दिल्ली के उपाहार थिएटर में हुई थी जहाँ कई सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई।

67. जब ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो वे नागरिकों की यादों से कभी नहीं मिटती हैं और सभी हितधारकों को एक संदेश छोड़ती हैं कि भविष्य में किसी भी स्थान पर ऐसी किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सख्त अनुपालन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हम आशा करते हैं कि सभी हितधारक हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखेंगे।

68. नौवां, खंड 7,8 और 9 में निर्धारित सभी उपायों का प्रत्येक रेस्तरां मालिक द्वारा पहले अक्षर और भावना से पालन करने की आवश्यकता है।

ग्राहकों और क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा और कल्याण। 69. दसवां, आदेश 2005 ने लाइसेंस देने या अस्वीकार करने में लाइसेंस प्राधिकरण की शक्तियों पर एक जांच प्रदान की है।

70. इस तरह की अस्वीकृति को हमेशा किसी पीड़ित द्वारा न्यायालय में चुनौती का विषय बनाया जा सकता है। इस प्रकृति का एक प्रावधान आदेश 2005 के तहत लाइसेंस देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय लाइसेंस प्राधिकरण की ओर से किसी भी प्रकार की मनमानेपन को समाप्त कर देता है। 71. यह हमें एक अन्य प्रश्न की जांच करने के लिए ले जाता है कि क्या अपीलार्थी द्वारा आग्रह किए जाने के अनुसार आदेश 2005 जारी करने में मनमानेपन या/और भेदभाव का कोई मामला बनाया गया है।

72. हालाँकि, हम अपीलार्थी द्वारा मनमानेपन या भेदभाव का कोई मामला नहीं ढूंढ पा रहे हैं ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 की कठोरता को आकर्षित किया जा सके।

73. वास्तव में, आदेश 2005 दोनों के बीच समान रूप से कोई भेदभाव पैदा नहीं करता है। रेस्तरां जो प्रदर्शन में लगे हुए हैं आदेश 2005 के खंड 2 (बी), (डी) और (जे) में निर्दिष्ट तीन प्रदर्शन खंड 3 के तहत लाइसेंस लेने के लिए कानूनी दायित्व के तहत हैं।

यक्षगान, बयालता (क्षेत्रीय नाटक) या भरतनाटचम, लोक कला, संगीत गायन, गायन या वाद्य जैसे वीणा या मृदना आदि। 75. हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, हालांकि इसकी पहली झलक आकर्षक लगती है। सबसे पहले, यह पुलिस आयुक्त को तय करना है कि

आदेश 2005 के दायरे में क्या लाया जाना चाहिए और इसके चंगुल से क्या छोड़ा जाना चाहिए, इस बारे में पूरी तथ्य स्थिति की समग्रता को ध्यान में रखते हुए विवेकाधिकार। दूसरा, दोनों प्रदर्शनों के बीच उचित अंतर दिखाई देता है क्योंकि जैसा कि सही आग्रह किया गया है

प्रतिवादी, परंतुक में निर्दिष्ट प्रदर्शन, आमतौर पर रेस्तरां में नहीं किए जाते हैं, लेकिन कलाकारों द्वारा एक बार के प्रदर्शन के रूप में सिनेमाघरों या/और सभागारों में किए जाते हैं, जबकि तीन प्रदर्शन आइटम-कैबरे, डिस्कोथेक और लाइव बैंड संगीत वे गतिविधियाँ हैं जो नियमित रूप से किए जाते हैं और अधिक भीड़ को आकर्षित करते हैं और अंत में परंतुक में निर्दिष्ट आइटम, भले ही रेस्तरां में किए गए प्रदर्शन में किसी भी प्रकार की अभद्रता या अश्लीलता शामिल न हो, जबकि अन्य तीन प्रदर्शन जब तक नियंत्रित न हों। हमारे विचार में, परंतुक प्रकृति में अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। 76. किसी भी मामले में, हमारे विचार में, यदि आयुक्त को लगता है कि परंतुक में निर्दिष्ट प्रदर्शनों को भी दायरे में लाया जा सकता है

2005 के आदेश के अनुसार वह खंड 3 में इस तरह के किसी भी प्रदर्शन को शामिल करने के लिए हमेशा स्वतंत्र है।

77. हमने ऊपर उल्लिखित अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, कोई नहीं हो सकता है इन मामलों में निर्धारित कानून के साथ विवाद। हालाँकि, वे मामले के तथ्यों की तुलना में उसमें निहित तथ्यों से अलग हैं।

78. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि आदेश 2005 किसी भी मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है या अनुचितता और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत अपीलार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरे शब्दों में, हमारे सुविचारित विचार में, नीचे दिए गए दोनों न्यायालय थे -

आदेश 2005 को संवैधानिक और कानूनी होने के रूप में बनाए रखना उचित है।

79. अब हम आदेश 2005 को बरकरार रखते हैं, हम प्रतिवादी-पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु को सत्यापित करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।

80. आयुक्त आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन रेस्तरां मालिकों ने अब तक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है और फिर भी बिना लाइसेंस के अपना रेस्तरां चला रहे हैं, ऐसे रेस्तरां मालिकों को आदेश 2005 में दिए गए अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए कुछ उचित समय दिया जाएगा। उन्हें आदेश 2005 की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने रेस्तरां चलाने में सक्षम बनाना।

81. रेस्तरां मालिकों को उचित समय देने के बाद लाइसेंस प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनके रेस्तरां बंद हो जाएंगे।

उन्हें बंद करने की सूचना देने के बाद।

निवासियों या ऐसे परिसर से गुजरने वालों के लिए असुविधा, झुंझलाहट, जोखिम, खतरा या क्षति, लेकिन हम जो पाते हैं वह यह है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित कोई विशिष्ट खंड/शर्त नहीं है जो रेस्तरां में तीन गतिविधियों के नियमित प्रदर्शन और प्रदर्शन के कारण पैदा होने की संभावना है या जो पैदा करने के लिए बाध्य है जिससे आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को परेशानी, झुंझलाहट और असुविधा होती है। आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी रेस्तरां में तीन प्रदर्शनों में से किसी के कारण आस-पास के क्षेत्र के निवासियों को कोई ध्वनि प्रदूषण न हो और इस संबंध में उपचारात्मक कदम उठाए जाएं।

83. इसी तरह, आग लगने के कारण होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त परिसर में किसी भी कारण से,

उचित विशिष्ट सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए

विशेषज्ञों की टीम का मार्गदर्शन। ये कदम जनहित में हैं और इसे पुलिस आयुक्त द्वारा न केवल लाइसेंस देने के समय बल्कि बिना किसी चूक के लाइसेंस प्राप्त परिसर का नियमित निरीक्षण करके भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

84. हम आशा करते हैं कि आयुक्त इन टिप्पणियों पर विचार करेंगे।

85. पूर्वगामी चर्चा और उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए

ए.

निर्देश, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

दिव्या पांडे